BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL SITTING AT NEW DELHI

(Under Sec. 18(1) read with Sec. 14 of the National Green Tribunal Act, 2010)

ORIGINAL APPLICATION No. 712 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Farman Qurashi ... APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTSAND CLIMATE CHANGE AND OTHERS ... RESPONDENTS

INDEX

Si.No.	Particulars	Page No.
1.	Supplementary Affidavit on behalf of the Applicant	1-6
2.	**Annexure No. SA-1-** True copy of the show cause notice dated 27.08.2024.	7-8

Place: New Delhi
Date: 16.11.2024

PALLAVI PRATAP
ADVOCATE
COUNSEL FOR THE APPLICANT
Phone: +91-999990078
Email: pallavipratap@hotmail.com
Address:A/90, LGF South Ex. II
, New Delhi 110049

FARMAn

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL SITTING AT NEW DELHI

MEMORANDUM OF APPLICATION

(Under Sec. 18(1) read with Sec. 14 of the National Green Tribunal Act, 2010)

ORIGINAL APPLICATION No. 712 OF 2023

IN THE MATTER OF:

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Distt. Saharanpur Regd. 9286/10 GOVT. OF INDIA

Farman Qurashi ...APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE AND OTHERS

...RESPONDENTS

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE APPLICANT

I, Farman Qurashi, aged about 35 years,S/o Inam Qarashi, R/o House no.-318, Village- Chausana, Chausana Jaddid, Shamli- Uttar Pradesh- 247778, do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I, the deponent, is the sole applicant in the instant original application and as such is well conversant with the facts of the case and thus competent to affirm this affidavit.

2. That the instant original application is filed against the M/s Meem Agro Foods Pvt Ltd, functioning on 993 to

FARMAn

1005, Kandhla Road, Kairana, Shamli District, U.P.-247774(hereinafter referred as 'said abattoir) which has been undertaking slaughtering operations without complying with the norms of effluent disposal and proper solid waste management as prescribed by the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

3. That during the pendency of the instant Original Application, the said abattoir was inspected on 25.06.2024 by the Joint Committee constituted by Uttar Pradesh Pollution Control Board, Headquarters, wherein the said abattoir was found in violation of the following:-

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Distt. Saharanpur Regd- 5286/10 GOVT. OF INDIA

i. The sample of the effluent from the outlet of ETP installed in the said abattoir was taken and Analysis Report showcased BOD to be 62 mg/l and COD as 280 mg/l, which is excessive of the permissible quantity.

ii. At the time of inspection, water was not found to be sprayed properly on the bio filter installed in the said abattoir for odor control.

iii. No record was presented on the spot regarding the use treated water for irrigation by the said abattoir nor the irrigation management plan was presented

FARMAN

iv. During the inspection, the said abattoir representative showed the land for irrigation located about 01 km away from the industry, which was found to be dry, reflecting that the treated water is not being properly used for irrigation by the said abattoir

v. At the time of inspection, the housekeeping system in the said abattoir was not found to be satisfactory.

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg.-3286/10
GOVT. OF INDIA

4. That in pursuance of the inspection dated 25.06.2024, a show cause notice dated 27.08.2024 was issued to the said abattoir, wherein along with the aforesaid contraventions, it was stated that the said abattoir, before the inspection dated 25.06.2024, was previously inspected by the authorized officers of the Regional Office, Muzaffarnagar on 18.05.2024, wherein in addition to the aforesaid contravention, the said abattoir was found to be in contravention of the followings:-

i. As per analysis report received from the outlet of the ETP of the said abattoir, the BOD was found to be 44 mg / l, and COD 328 mg / l, which is more than the Board standards, which clearly shows that the effluent purification plant is not being operated properly by the said abattoir and

FARMAN

the disposal of the impure effluent is not being done as per the standards.

ii. The said abattoir is being operated in violation of the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended. The industry has been given consent by the State Board till the year 2027, the condition of which was found to be violated.

iii. The recommendations of the Joint Committee suggested imposition of show cause notice/environmental compensation under Section-33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended against the industry M/s Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kapla Road, Kairana, District Shamli.

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg. 9786/10
GOVT. OF INDIA

iv. It was further stated that a complaint letter has been sent to the Board by Shri Sumant Ojha, Animal Rights Activist Delhi through his e-mail dated 12.07.2024 regarding two illegal meat containers which have been caught in Industrial Area District Khurda, Police Station Khurda, Sadar, Odisha, in which meat packaging of M/s Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Uttar Pradesh India was found. By the complainant along with the complaint letter, the First Information Report and photographs of the container and packaging

FARMAN

have also been sent. The UPPCB imposed an environmental compensation of Rs. 30,000/- per day for the aforesaid violation and directed the said abattoir to present a reply to the show cause notice dated 27.08.2015 within a period of 15 days falling which the show cause notice will be confirmed.

True copy of the show cause notice dated 27.08.2024 is filed hereinwith as **<u>Annexure no.SA- 1.</u>**

5. That it is pertinent to mention that it is an admitted fact that the said abattoir has been functioning regardless of the violation of environmental norms and have still not furnished any reply regarding the show cause notice dated 27.08.2024 but despite the same no coercive/remedial action has been taken by the Uttar Pradesh Pollution Control Board in this regard.

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg- [illegible]/10
GOVT. OF INDIA

6. That in view of the aforesaid, it is humbly prayed that the instant supplementary affidavit may be taken on record and directions must be issued to the respondent no. 4 to take appropriate remedial action in pursuance of the show cause notice dated 27.08.2024.

FARMAN

VERIFICATION

I, Farman Qurashi, aged about 35 years,S/o Inam Qarashi, R/o House no.-318, Village- Chausana, Chausana Jaddid, Shamli- Uttar Pradesh- 247778, do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 6 are true to my personal knowledge and believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material facts.

FARMAN

Place: New Delhi

Dated: 16.11.2024

Signature of the Applicant

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg.-8266/10
GOVT. OF INDIA

IDENTIFIED BY

This affidavit is made before me today in my office ...... A.M/P.M.

The contents of the affidavit have been explained to the deponent who admit to understand them.

Saharanpur
U.P. INDIA

Kaleem Ahmad
Advocate & Notary

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE NO. SA-1

संदर्भ संख्याः H16194/सी–3/जल 589/2024 दिनॉकः 27-8-24

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0,
कांधला रोड, कैराना,
जिला शामली 6091-11-2363439

यह कि उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली जोकि पशुओ की स्लाटरिग हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली का निरीक्षण बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 15.05.2024 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 25.06.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया तथा उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 के आउटलेट से एकत्रित उत्प्रवाह नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या अनुसार प्रदूषित प्रचालक बी0ओ0डी0 62 मि0ग्रा0/ली0, तथा सी0ओ0डी0 280 मि0ग्रा0/ली0, पाया गया (छायाप्रति संलग्न), जोकि बोर्ड मानको से अधिक है। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग में दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु स्थापित बायो फिल्टर पर जल छिडकाव समुचित रूप से होता हुआ नही पाया गया। मौके पर उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिचाई में प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया तथा न ही इरेगेशन मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत नही किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा उद्योग से लगभग 01 किमी दूर स्थित सिचाई हेतु भूमि दिखाई गयी जोकि सूखी पायी गयी जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह का प्रयोग सिचाई में समुचित रूप से नही किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग में हाउसकीपिंग की व्यवस्था संतोषजनक नही पायी गयी।

अग्रेतर पूर्व में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.05.2024 को भी किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के ई0टी0पी0 के आउटलेट की प्राप्त विश्लेषण आख्या अनुसार प्रदूषित प्रचालक बी0ओ0डी0 44 मि0ग्रा0/ली0, तथा सी0ओ0डी0 328 मि0ग्रा0/ली0, पाया गया जोकि बोर्ड मानको से अधिक है जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए उद्योग का संचालन किया जा रहा है। उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2027 तक सहमति निर्गत है जिसकी शर्तो का उल्लंघन होता पाया गया। बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 15.05.2024 द्वारा गठित संयुक्त समिति की संस्तुतियों दिनांक 12.07.2024 एवं क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्र दिनाक 11.06.2024 द्वारा उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अग्रेतर श्री सुमन्त ओझा, एनिमल राइट्स ऐक्टिविस्ट, दिल्ली द्वारा प्रेषित अपने ई–मेल Animal Law <lawforanimal@gmail.com> दिनांक 12.07.2024 के माध्यम से बोर्ड में शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र जिला खुर्दा, थाना खुर्दा सदर उडीसा प्रदेश में दो अवैध मांस कन्टेनर पकडे गये है जिनमें मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0 उ0प्र0 भारत के मांस के पैकेजिंग पाये गये। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट व कन्टेनर व पैकेजिंग के फोटोग्राफ भी प्रेषित किये गये है। शिकायती पत्र के संबंध में उद्योग से प्रतिउत्तर अपेक्षित है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियो के अधीन उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्व सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यो न उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली को बोर्ड के पत्र संख्या 186534/UPPCB/Circle-3(UPPCBHO)/CTO/Both/SHAMLI/2023 दिनांक 12.07.2023 द्वारा वर्ष 2027 तक निर्गत सहमति जल को निलम्बित (Suspend) कर दिया जाए।

FARMAN

2. यह कि क्यो न उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
3. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली को मिलने वाली विजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली का PI-80,N-1,R-250,S-1.5,LF-1.0 लेते हुए निरीक्षण दिनांक 18.05.2024 से पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/– प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस/प्राप्त शिकायत के संबंध मे पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस/प्राप्त शिकायत का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसो हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वंय का होगा।

संलग्नक–यथोपरि।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

Atulesh yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. पुलिस अधीक्षक, शामली।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शामली।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशो के अनुपालन के संबंध में उद्योग का उद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रुप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

FARMAN